

हद्वि उत्तराधकार अधनियम, 1956 में उत्तराधकार मानदंड

प्रारंभिक परीक्षा के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, हद्वि उत्तराधकार अधनियम, 1956, उत्तराधकार कानून, वधिआयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, वीरशैव, लगियत, ब्रह्म सभा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अनुसूचति जनजाति, अनुच्छेद 366, मतिक्षरा और दयाभागा शाखा ।

मुख्य परीक्षा के लयि:

लैंगिक समानता और महिलाओं से संबंधति मुद्दे

स्रोत: हद्विस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने **हद्वि उत्तराधकार अधनियम, 1956 (HSA)** के तहत उत्तराधकार प्रावधानों को बनाए रखा, जसिमें उत्तराधकार को **लैंगिक असमानता** के मामले के रूप में देखने के स्थान पर सांस्कृतिक मानदंडों के साथ-साथ वधायी नरितरता पर बल दिया गया ।

- कई याचिकाओं में इन प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई, और साथ ही उत्तराधकार के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार की मांग की गई ।

उत्तराधकार पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिँ क्या हैं?

- **लैंगिक न्याय के संदर्भ में नहीं:** सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विवाह के बाद, एक महिला अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है, तथा उस परिवार में उत्तराधकार के संबंध में उसके अधिकार भी समान हो जाते हैं ।
 - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तराधकार कानून को केवल लैंगिक समानता के मुद्दे के रूप में नरिमति नहीं किया जाना चाहयि ।
- **सांस्कृतिक संदर्भ:** न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि हद्वि उत्तराधकार संबंधी प्रथाएँ गहराई से नरिति सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतबिबिति करती हैं ।
 - पारंपरिक भावनाएँ प्रायः एक विवाहित महिला के माता-पति को उसके उत्तराधकार से प्राप्त संपत्तयिँ में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती हैं ।
- **वैज्ञानिक और तरकसंगत वंशावली:** न्यायालय ने अधनियम के "वैज्ञानिक एवं तरकसंगत" ढाँचे को बनाए रखा, जसिमें महिला द्वारा अपने माता-पति या ससुराल वालों से अरजति संपत्ति प्रत्यक्ष उत्तराधकारयिँ की अनुपस्थिति में मूल परिवार को वापस कर दी जाती है, जसिमें पैतृक वंशावली-आधारित दृष्टिकोण को बनाए रखा जाता है ।
- **वधायी परिवर्तन की आवश्यकता:** न्यायालय ने दोहराया कि उत्तराधकार कानूनों में संशोधन न्यायिक नरिणयों के स्थान पर वधायी नकियासंसद द्वारा प्रस्तावति एवं अधनियमति कयि जाने चाहयि ।
 - ऐसा इसलियि है क्योंकि उत्तराधकार कानून संपूर्ण समाज को प्रभावति करते हैं, और कसि भी परिवर्तन को कुछ व्यक्तयिँ या वशिष्ट विवाद संबंधी चतिओं से प्रभावति होने के स्थान पर व्यापक सामाजिक सहमति और सामूहिक मूल्यों को प्रतबिबिति करना चाहयि ।
- **उत्तराधकार की भूमिका:** न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एक महिला उत्तराधकार के माध्यम से अपनी संपत्तिको अपनी इच्छानुसार वतित करने के लयि स्वतंत्र है, तथा मौजूदा कानूनी मानदंडों के अंतरगत व्यक्तगत स्वायत्तता पर भी बल दिया गया ।
- **वगित अनुशासः** हालाँकि, 174वें वधिआयोग (2000) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग सहति कुछ नकियाँ द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लयि समान उत्तराधकार अधिकारों की सफारिश की है, ये सुधार राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के वचिरों पर नरिभर करते हैं ।

HSA, 1956 के अंतरगत बना वसीयत के उत्तराधकार हेतु मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- **हद्वि महिलाओं के लयि:** यदकिसि हद्वि महिला की बना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति (जसिमें स्वयं अरजति संपत्ति भी शामिल है) प्राथमिक रूप से उसके बच्चों और पति को वरिसत में मलिति है ।

- यदि पति या बच्चे मौजूद नहीं हैं तो संपत्तिपति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है। केवल उन मामलों में जहाँ पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, संपत्ति महिला के माता-पिता या उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है।
- जब संपत्ति किसी स्रोत (जैसे माता-पिता, ससुराल वाले) से वंशसत में मिलती है तो यदि महिला की मृत्यु बिना किसी परत्यक्ष उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो वह उस मूल परिवार को वापस मिल जाती है।
- हट्टि पुरुषों के लिये: जब किसी हट्टि पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माँ के बीच बराबर-बराबर बाँट दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो संपत्ति पति को मिल जाती है।

Legalese

According to the Hindu Succession Act (HSA), if a woman's property is self-acquired, her husband is no more, and she has no children, that property goes to the husband's heirs

IF A WOMAN DIES INTESTATE

Her self-acquired property

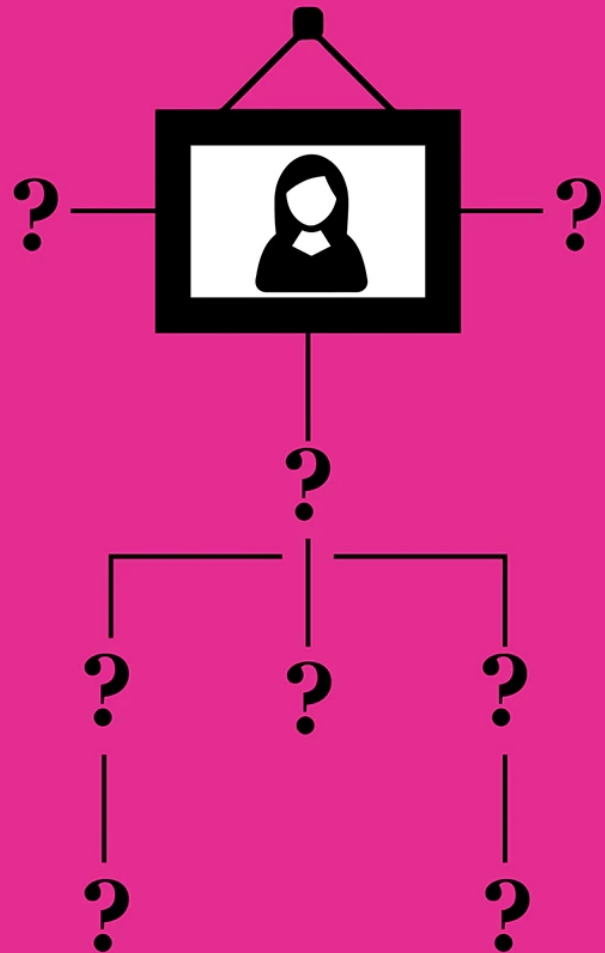
- She has children → Property goes to them
- No children → Property goes to the husband
- Husband passes away → Ownership is transferred to her mother-in-law

Inherited property

- She has children → Property goes to them
- No children → Ownership is transferred to the heirs of her father or mother

IF A MAN DIES INTESTATE

- His property → Mother, children and widow get equal shares
- Widowed wife remarries → She gives up her claim on her ex-husband's properties



हट्टि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क्या है?

- परचिय: यह किसी हट्टि व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाने पर संपत्ति के वितरण हेतु वधिकि ढाँचा है।
 - इस अधिनियम के तहत मृतक के साथ व्यक्ति के संबंधों के आधार पर उत्तराधिकारियों, उनके अधिकारों एवं संपत्ति के वंशजों के निर्धारण के लिये नियम निर्धारित किये गए हैं।
- अधिनियम की प्रयोज्यता:
 - हट्टि धर्म के अनुसार वीरशैव, लगायत, ब्रह्मोस, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं।
 - यह अधिनियम बौद्ध, सखि और जैन धर्म पर लागू होगा।
 - वे व्यक्ति जो मुसलमि, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि हट्टि कानून या रीति-रिवाज उन पर लागू नहीं होते हैं, तब तक यह अधिनियम लागू होगा।
 - यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार यह अनुसूचित जनजातियों पर स्वतः लागू नहीं होता है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित न कर दिया जाए।

- **हद्वि वधिका शाखाएँ:** इससे संपत्ति के उत्तराधिकार एवं अंतरण की एक समान प्रणाली का निर्धारण होता है जो [मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं](#) पर समान रूप से लागू होती है।
 - मिताक्षरा वधि पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती है जबकि दायभाग वधि पश्चिम बंगाल और असम पर लागू होती है।
 - दायभाग वधि के तहत उत्तराधिकार का अधिकार **पूर्वजों की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है** जबकि मिताक्षरा वधि में **जन्म से ही संपत्ति का अधिकार** प्रदान किया गया है।
 - दायभाग प्रणाली में **पुरुष और महिला**, परिवार के दोनों ही सदस्य सहृदयिक हो सकते हैं जबकि मिताक्षरा प्रणाली में सहृदयिक अधिकार **केवल पुरुष सदस्यों तक ही सीमित है।**
 - सहृदयिक वह व्यक्ति होता है जो **जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार** का दावा कर सकता है।
- **संपत्ति का वितरण:**
 - **श्रेणी I के उत्तराधिकारी:** वधिवा को संपत्ति का एक हिस्सा मिलता है।
 - पुत्र, पुत्री और माँ सभी को **बराबर हिस्सा मिलता है।**
 - **श्रेणी II के उत्तराधिकारी:** यदि कोई श्रेणी I का उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो संपत्ति को **समान रूप से विभाजित** किया जाता है।
 - **सगोत्रीय और सजातीय:** यदि कोई श्रेणी I या II का उत्तराधिकारी नहीं है, तो संपत्ति **पैतृक रश्तेदारों (सगोत्रीय) और अन्य रश्तेदारों (सगोत्रीय)** को हस्तांतरित हो जाती है।
- **हद्वि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005:** अधिनियम की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था और महिलाओं को वर्ष 2005 से संपत्ति के विभाजन के लिये सहृदयिक के रूप में मान्यता दी गई थी।

नोट:

- श्रेणी I के उत्तराधिकारियों में **पुत्र, पुत्री, वधिवा, माँ, पूर्व मृत बेटे का बेटा और पूर्व मृत बेटे की बेटी** आदि शामिल हैं।
- श्रेणी II के उत्तराधिकारियों में **पति, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई, बहन** आदि शामिल हैं।

अन्य समुदायों में उत्तराधिकार कानून

- **मुसलमि:** यह [मुसलमि परसनल लॉ \(शरीयत\) एप्लीकेशन एक्ट, 1973](#) द्वारा शासित है।
- **ईसाई, पारसी और यहूदी:** ईसाई, पारसी और यहूदियों के मामले में [भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925](#) लागू होता है।

नषिकर्ष

HSA के तहत उत्तराधिकार प्राधानों पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ सांस्कृतिक परंपराओं और वंश-आधारित उत्तराधिकार पर ज़ोर देने वाले **वधायी ढाँचे** के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करती हैं। न्यायालय ने हद्वि उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक न्याय और सामाजिक मूल्यों के महत्त्व पर ज़ोर दिया, साथ ही व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने और संभावित वधायी सुधारों पर विचार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। **यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कानून के उद्देश्य को केवल उस कठिनाई के कारण कम नहीं किया जा सकता है जो इससे हो सकती है।**

?????? ???? ?????:

प्रश्न: हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उत्तराधिकार अधिकारों की जाँच कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न: प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मिताक्षरा उँची जात की सविलि वधि थी और दायभाग निम्न जात की सविलि वधि थी।
2. मिताक्षरा व्यवस्था में, पुत्र अपने पति के जीवनकाल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे।
3. मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर विचार करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न: भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पतितंत्र (पेट्रिआरकी) किस प्रकार प्रभावित करता है? (2014)

प्रश्न: "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और

प्रश्न: नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पतिसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की

प्रश्न: योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inheritance-norms-in-hindu-succession-act,-1956>

